

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 11th August, 1992]

# HARYANA GOVERNMENT

## POWER DEPARTMENT

### Notification

The 30th July, 1992

No. 26/1/92-3MIP.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Punjab Electricity (Duty) Act, 1958 and all other powers enabling him in this behalf and in super session of Haryana Government, Power Department, Notification No. 26/1/85-3MIP, dated the 30th April, 1985, the Governor of Haryana, hereby specifies the slabs of electricity duty mentioned in column 3 of the schedule given below for the categories of consumers shown in column 2 of the said Schedule and further specifies the rates for such slabs as mentioned against each in column 4 thereof :—

### SCHEDULE

Serial Number	Category of consumers	Slabs (Energy Supplied in a month)	Rates of Electricity Duty, per unit (in paise)
1	2	3	4
1	Domestic Consumers	(1) Upto first 40 units	9
		(2) Above 40 units and upto 100 units	10
		(3) Above 100 units and up to 200 units	13
		(4) Above 200 units	15
2	Commercial Consumers	(1) Up to first 30 units	16
		(2) Above 30 units and up to 80 units	19
		(3) Above 80 units	21
3	Industrial Consumers	(1) L. T. Industrial Supply	(1) For loads up to 70 kw. 16
		(2) H. T. Industrial Supply	(2) For loads above 70 kw. 20

The revised rates shall be applicable on the energy consumed with immediate effect.

J. K. DUGGAL,

Financial Commissioner and Secretary  
to Government, Haryana, Irrigation and  
Power Department.

हरियाणा सरकार

बिजली विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जुलाई, 1992

क्रमांक 26/1/92-3 एम० आई० पी०.—पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1958 की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई तथा इस निमित्त उन्हें ससय बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा

हरियाणा सरकार, सिंचाई एवं बिजली विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 26/1/85-3 एम० आई० पी०, दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के अतिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल उनके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 के दर्शाये गई उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए अनुसूची के खाना 3 के विनिर्दिष्ट बिजली शुल्क के खण्ड (स्लैब) विनिर्दिष्ट करते हैं और इस के अतिरिक्त इसके खाना 4 में प्रत्येक के सामने यथा वर्णित के अनुसार प्रत्येक खण्डों के लिए दरें भी विनिर्दिष्ट करते हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	उपभोक्ता श्रेणी	खण्ड (एक मास में सप्लाई की गई उर्जा)	प्रति यूनिट बिजली शुल्क की दरें (पैसे में)
1	2	3	4
1	घरेलू उपभोक्ता	(1) पहले 40 यूनिटों तक	9
		(2) 40 यूनिटों से अधिक तथा 100 यूनिटों तक	10
		(3) 100 यूनिटों से अधिक तथा 200 यूनिटों तक	13
		(4) 200 यूनिटों से अधिक	15
2	वार्णिज्यिक उपभोक्ता	(1) पहले 30 यूनिट तक	16
		(2) 30 यूनिट से अधिक तथा 80 यूनिट तक	19
		(3) 80 यूनिटों से अधिक	21
3	औद्योगिक उपभोक्ता —		
	(i) निम्न विभव औद्योगिक सप्लाई	(70 किलो वाट तक)	16
	(ii) उच्च विभव औद्योगिक सप्लाई	(70 किलो वाट से अधिक)	20

खपत हुई उर्जा पर संशोधित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी ।

जे० के० दुग्गल,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
सिंचाई एवं बिजली विभाग ।